निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 33/प्रा0पत्र/19 तारिख दायराः 26.08.2019

उनवान

राज0सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय,झालावाड़

बनाम

01. राधकिशन आ0 श्री धूलीलाल, उचित मूल्य दुकानदार बांसखेडी लोढ़ान तहसील अकलेरा
02. धूलीलाल आ0 लालसिंह जाति तंवर नि0 बासखेड़ी लोढ़ान तहसील अकलेरा
03. हरिप्रकाश आ0 कन्हैयालाल नि0 सरडा तहसील अकलेरा (वाहन मालिक)
04. चन्द्रसिंह आ0 पूरीलाल जाति तवंर निवासी बोरखेडी तहसील अकलेरा(वाहन चालक)

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 8 क्विं0 गेंहू मय बारदाना एवं एक वाहन TATA ACE Rj 17 GA 3850 राजसात करने बाबत।

उपस्थितः— पेरोकार रसद

श्री राम माहेश्वरी अभिभाषक अप्रार्थी 4

—: निर्णय :— दिनांकः 30.10.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 01/प्रा0पत्र/15 में बाद सुनवाई दिनांक 11.03.2015 को निर्णय पारित किया जाकर जब्त शुदा 8 क्विंटल गेंहू को राजसात किया जाकर उक्त गेहूं के निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये गये व जप्त वाहन TATA ACE Rj 17 GA 3850 की प्रकरण में संलिप्तता माना जाकर राजसात कर जर्ये निलामी निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित किया था। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सैशन न्यायाधीश झालावाड़ के यंहा प्रकरण प्रस्तुत करने पर माननीय सैशन न्यायालय ने प्रकरण को विधिवत सुनवाई एंव निस्तारण हेतु न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश(एन. डी.पी.एस.प्रकरण)एंव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश झालावाड़ को अन्तरित किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील सं0 35/2015 निर्णय दिनांक 18.03.2016 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण के तथ्यों एंव परिस्थितियों के अनुरूप अपीलार्थी वाहन सुपुर्दगी के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रा0पत्र पर हस्तगत निर्णय के प्रकाश में,उक्त न्यायिक दृष्टांत से मार्ग दर्शन प्राप्त कर स्वंय का विवेचन,विधि—अनुरूप प्रसारित करें। जिस पर न्यायालय हाजा में प्रकरण 47/प्रा0पत्र/16 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 20.09.2017 से न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 01/प्रा0पत्र/15 में पारित निर्णय में आंशिक सशोधन करते हुए जप्त गेंहू के राजसात के आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण में प्रयुक्त वाहन TATA ACE Rj 17 GA 3850 में यदि वाहन मालिक वाहन जब्ती कार्यवाही के समय की वाहन की कीमत के बराबर राशि जमा करवा दे तो वाहन को वाहन मालिक की सुपुर्दगी में दे देने तथा यदि वाहन मालिक द्वारा उक्तानुसार राशि जमा नही कराई जाती है तो जब्त वाहन को निलामी के

जिला कलक्टर
झालावाड़

माध्यम से निस्तारित कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराने बाबत निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की अपील माननीय जिला न्यायालय में की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.05.2018 से अपील अन्दर मियाद नही होने के कारण पोषणीय न होने से गुणावगुण पर विवेचना किये बिना अस्वीकार कर खारिज की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी की और से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एस.बी. क्रिमिनल रिवीजन पीटीशन न0 1026/2018 प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.05.2019 से अपील माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश,एन.डी.पी.एस. प्रकरण झालावाड़ को रिमाण्ड किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण 107/2017 पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 13.08.2019 से प्रकरण गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय हाजा का निर्णय अपास्त किया जाकर पत्रावली न्यायालय हाजा में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि'' विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उठाये गये इस तर्क की रोशनी में की धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 11.12. 2014 को वाहन टाटा एसीई आरजे 17 जीए 3850 के जप्त होने से आज निर्णय की दिनांक तक संबन्धित विभाग द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करने की कोई मंशा रही है, न ही भविष्य में ऐसी कोई इच्छा जाहिर की है तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की और से दौराने बहस उठाए जाने वाले अन्य तर्को की रोशनी में बाद सुनवाई एक माह से अनधिक की अवधि में उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले न्यायिक दृष्टांतो(यदि कोई प्रस्तुत किए जावें) की रोशनी में विधि–सम्मत स्पीकिंग आदेश पारित करें।

प्रकरण माननीय न्यायालय से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में पेरोकार रसद व अप्रार्थी हरिप्रकाश की और से अभिभाषक श्री राम माहेश्वरी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अभिभाषक अप्रार्थी की और से A.I.R. 2007 SUPREME COURT 2626-28 न्यायिक दृष्टान्त की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि प्रकरण में सिर्फ 6ए के तहत ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने पर गेंहू को राजसात कर वाहन को वाहन जब्ती कार्यवाही के समय की वाहन की कीमत के बराबर राशि जमा करवाने पर वाहन को वाहन मालिक की सुपुर्दगी में देने के आदेश सही दिये गये हैं। पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय उचित है। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी 4 द्वारा व्यक्त किया कि अप्रार्थी के वाहन में अवैध रूप से एफसीआई के गेंहू का परिवहन माना जाकर वाहन को जब्त करने का आदेश उचित नही है, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही मात्र की गई है अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की दिनांक से आज दिनांक तक 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नही की गई है, जप्त वाहन में जो 8 बोरी गेंहू को राजसात किया गया है उक्त गेंहू की कीमत के बराबर राशि लेकर वाहन को छोडने हेतु निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त A.I.R. 2007 SUPREME COURT 2626-28 का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जब्त किये गये वाहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जब्ती से सम्बन्धित है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार जब्ती का आदेश केवल इसलिये विधिसम्मत नही होता है क्योंकि ऐसा करने का कानूनन अधिकार है, अपितु सक्षम अधिकारिता को अधिनियम की धारा 3 के तहत जिन मुद्दों

जिला कलक्टर
झालावाड़

को प्रकरण में उल्लेखित किया गया है उन मुद्दों के उल्लघंन के सम्बन्ध में स्पष्ट निष्कर्ष पर पंहुचना चाहिये। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में मुख्य मुद्दा जब्त वाहन रिलीज करने के सम्बन्ध में वाहन की जब्ती के समय पर निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक जुर्माना राशि के अर्थदण्ड लगाये जाने से सम्बन्धित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी को जब्त शुदा वाहन TATA ACE Rj 17 GA 3850 को यदि वाहन मालिक जब्ती कार्यवाही के समय की वाहन की कीमत के बराबर राशि राजकोष में जमा करादे तो वाहन को वाहन मालिक की सुपुर्दगी में दिये जाने का विकल्प दिया गया है। जो न्यायिक दृष्टान्त Collector of Ganjan v/s. Ramesh chander-2009(2) EFR 25(SC) में उल्लेखित किया गया है।

इसी क्रम में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में मिसल न0 1/प्रा0पत्र/15 निर्णय दिनांक 11.03.2015 में स्पष्ट अंकन किया गया है '' अप्रार्थी कमांक 2 जो स्वय राशन डीलर का पिता है उसके द्वारा गेंहूं की कालाबाजारी में राशन डीलर अप्रार्थी कमांक 1 का सहयोग किया गया है इसी तरह जब्त वाहन TATA ACE Rj 17 GA 3850 की भी प्रकरण में संलिप्तता जाहिर है। इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य पदार्थ(वितरण का विनियमन)आदेश 1976 के क्लॉज 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 3,4,14,17(ग)व 18 की स्पष्ट अवहेलना जाहिर है।''

तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा इसी क्रम में मिसल न0 47/प्रा0पत्र/16 निर्णय दिनांक 20.09.2017 में भी स्पष्ट अंकन किया गया है '' अप्रार्थी एफपीएस डीलर द्वारा गेंहू को अपनी दुकान से लोडर वाहन में भरकर कालाबाजारी की नियत से ले जाया जाने पर ग्रमवासीयान की शिकायत पर कार्यवाही के दौरान गेंहू वाहन TATA ACE Rj 17 GA 3850 में पाया जाने पर जप्त किया गया था व बाद सुनवाई गेंहू व वाहन को राजसात करने के आदेश न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये थे। चूंकि गेंहू की कालाबाजारी में एफपीएस डीलर अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 जो स्वय अप्रार्थी न0 1 एफपीएस डीलर का पिता है की संलिप्तता जाहिर है साथ ही उक्त कृत्य में अप्रार्थी सं0 3 व 4 द्वारा भी वाहन के माध्यम से गेंहू की कालाबाजारी में सहयोग किया जाना तो जाहिर है ।''

न्यायिक दृष्टान्त डब्ल्यू0एल0सी0(एस0सी0) क्रिमिनल पेज–163 कैलाश प्रसाद यादव व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य (A.I.R. 2007 SUPREME COURT 2626-28 पर यही प्रकरण दर्शित है।) के आलोक में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में इस विचाराधीन प्रकरण में प्रकरण संख्या 47/प्रा0पत्र/16 निर्णय दिनांक 20.09.2017 पारित किया गया है।

प्रार्थी का कथन कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही नही की गई है तथा इस कारण से वर्तमान प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जब्ती की कार्यवाही करना न्यायोचित नही है। इस संबंध में यूनिक ट्रेडर्स,जयपुर द्वारा प्रकाशित आवश्यक वस्तु अधिनियम, संस्करण 2016 के पृष्ठ 71 पर अंकित न्यायिक दृष्टान्त M/s Pankaj Dal mills vs State of U.P-1985 EFR 101 के अनुसार खण्ड 6 क व 7 समानान्तर कार्यवाही–समवर्ती अधिकारिता– साररूप (para materia) धारा 6क व 7 के अन्तर्गत कार्यवाही स्वतंत्र है एक दूसरे से अलग है और एक साथ की जा सकती है। न्यायालय जो कि धारा 7 में प्रगणित दण्ड के लिये अधिनिर्णय के लिये सशक्त है, आवश्यक वस्तु के अधिहरण के सम्बन्ध में कार्यवाही से स्वतन्त्र और भिन्न है। राज्य पर यह अवलम्ब नही है कि वह धारा 3 के तहत किये गये किसी भी आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन प्रारम्भ करे क्योंकि धारा 6क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलक्टर ने आवश्यक वस्तु के अधिहरण के आदेश पारित कर दिये,जिसके सम्बन्ध में एक अपराधिक अभियोजन प्रारम्भ किया जावे। इसी तरह अपराधिक कार्यवाही किसी सक्षम

जिला कलक्टर
झालावाड़

अपराधिक अदालत के समक्ष शुरू की जा सकती है और यंहा तक कि धारा 6क के तहत अधिहरण की कार्यवाही के बिना दण्ड का अधिनिर्णय किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 147/16 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः प्रकरण संख्या 147/16 निर्णय दिनांक 20.09.2017 यथावत रखा जाता है।

इस प्रकरण के माध्यम से यंहा उल्लेख किया जाना उचित होगा कि यदि अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत किया जाना पाया जावे तो सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत भी कार्यवाही किया जाना चाहिये और यदि कार्यवाही नही की जाती है तो पत्रावली पर कारण स्पष्ट किये जाने चाहिए। अतः प्रकरण में जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को निर्देशित किया जाता है कि वह अपराध की गंभीरता को मध्य नजर रखते हुए एक्ट के प्रावधानों के तहत नियमो के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार कार्यवाही सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति माननीय न्यायालय माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश,एन.डी.पी.एस. प्रकरण झालावाड़ को उनके द्वारा पारित निर्णय के आलोक में भिजवाई जावे तथा पालनार्थ जिला रसद अधिकारी,झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़